



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02122021-231555
CG-DL-E-02122021-231555

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 686]
No. 686]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 2, 2021/अग्रहायण 11, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 2, 2021/AGRAHAYANA 11, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2021

सं. 03/2021-स्वापक नियंत्रण-1

सा.का.नि. 845(अ).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 727(अ) दिनांक 11/10/2021 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के माध्यम से निम्नलिखित संशोधन करती है। यथा:

- उक्त अधिसूचना सं. सा.का.नि.727(अ) दिनांक 11/10/2021, पैरा 2क, हिंदी संस्करण के उप-पैरा (i) और अंग्रेजी संस्करण, शब्द "फसल वर्ष 2018-19 में 3.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 4.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फसल वर्ष 2019-20 में 3.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर" को शब्द 2020-21 के पश्चात अंतः स्थापित किया जाएगा।
- उक्त अधिसूचना सं. सा.का.नि. 727(अ) दिनांक 11/10/2021, पैरा 2क, हिंदी संस्करण के उप-पैरा (ii) और अंग्रेजी संस्करण, शब्द "फसल वर्ष 2019-20 और 2020-21 में लाइसेंस रहित थे" के स्थान पर शब्द "फसल वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और उनके द्वारा दी गई अफीम पोस्त में मॉर्फिन (एमक्यूवाई-एम) की औसत उपज 3.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम थी" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[मि. सं. 14011/01/2021-एनसी-1]

दिनेश बुद्ध, निदेशक (एनसी)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd December, 2021

No. 03/2021-Narcotics Control-1

G.S.R. 845(E).—In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby makes following amendment in the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Notification No. G.S.R. 727(E) dated 11/10/2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section(i), namely:

1. In the said notification No. G.S.R. 727(E) dated 11/10/2021, para 2A, Sub-para(i) of Hindi version and English version, the word “, 3.7 kg per hectare to 4.0 kg per hectare in the crop year 2018-19 and 3.7 kg per hectare to 4.2 kg per in the crop year 2019-20.” shall be inserted after the word 2020-21.
2. In the said notification No. G.S.R. 727(E) dated 11/10/2021, para 2A, Sub-para(ii) of Hindi version and English version, the word “were de-licensed in the crop year 2019-20 and 2020-21” shall be substituted with the word “had cultivated opium poppy during the crop year 2018-19, 2019-20 and 2020-21 and tendered an average yield of Morphine (MQY-M) below 3.7 kg per hectare”

[F. No. 14011/01/2021-NC-I]

DINESH BOUDDH, Director (NC)